भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3883
दिनांक 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन

3883. श्री सतीश कुमार गौतमः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में उन्नत किया गया है;

(ख) इसकी सदस्यता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में इसके दर्जे में परिवर्तन के बाद इसके द्वारा क्या कार्यकलाप किये गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में आपदा रोधी अवसंचरना हेतु गठबंधन (सीडीआरआई) का शुभारंभ किया गया था। इसे दिनांक 29.06.2022 को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई। भारत सरकार और सीडीआरआई के बीच दिनांक 22.08.2022 को एक मुख्यालय समझौते (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर किए गए। एचक्यूए के लिए अनुसमर्थन का साधन दिनांक 09.08.2023 को जारी किया गया था। इसके बाद, सीडीआरआई, इसके प्रतिनिधियों और अधिकारियों को दिनांक 11.01.2024 को संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम 1947 के तहत विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ प्रदान की गईं।

अब तक, पचास (50) राष्ट्र और आठ (08) संगठन, जिनमें बहुपक्षीय बैंक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ और निजी क्षेत्र के भागीदार शामिल हैं, सीडीआरआई के सदस्य हैं ।

वैश्विक स्तर पर बुनियादी ढाँचे के रिजिलिएंस को समर्थन देने के लिए सीडीआरआई की महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलें, क्षेत्र रिजिलिएंट कार्यक्रमों और ज्ञान एवं सीख अनुलग्नक में दी गई है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 3883, दिनांक 12.08.2025

अनुलग्नक

(i) "द्वीपसमूह राष्ट्रों के लिए आपदा रोधी अवसंरचना" (आईआरआईएस) "छोटे द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों" (एसआईडीएस) का समर्थन करने के लिए सीडीआरआई की एक समर्पित रणनीतिक पहल है। आईआरआईएस को भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका, मॉरीशस और यूनाइटेड किंगडम के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा दिनांक 02 नवंबर 2021 को ग्लासगो में पार्टियों के सम्मेलन के 26वें सत्र (सीओपी-26) के विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार के 150 करोड़ रुपये के योगदान के लिए भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र-बहु-भागीदार ट्रस्ट फंड कार्यालय के बीच एक मानक प्रशासनिक समझौता किया गया है।

(ii) विद्युत अवसंरचना रिजिलिएंस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं सहित विभिन्न खतरों के विरुद्ध विद्युत अवसंरचना की मजबूती और रिजिलिएंस को मजबूत करना है।

(iii) परिवहन अवसंरचना और प्रणाली रिजिलिएंस कार्यक्रम, शहरी परिवहन सहित हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सड़कों की जलवायु और आपदा रिजिलिएंस बढ़ाने पर केंद्रित है।

(iv) दूरसंचार क्षेत्र रिजिलिएंस कार्यक्रम का लक्ष्य दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक व्यापक आपदा जोखिम और रिजिलिएंस आकलन ढाँचा (DRRAF) विकसित करना है, जिसे भारत में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय अध्ययनों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

(v) रिजिलिएंट स्वास्थ्य अवसंरचना (RHI) कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारों और हितधारकों को आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यवधानों को कम करने के लिए प्रणालीगत आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया, शमन और रिजिलिएंस क्षमताओं के साथ सहायता प्रदान करना है, साथ ही अतिरिक्त क्षमता वृद्धि भी सुनिश्चित करना है।

(vi) शहरी अवसंरचना रिजिलिएंस कार्यक्रम (UIRP) का उद्देश्य लचीले अवसंरचना नियोजन को बढ़ावा देकर और डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को लागू करके शहरी जीवन-क्षमता को बढ़ाना है।

(vii) पर्वतीय रिजिलिएंस कार्यक्रम (MRP) का उद्देश्य हिमालय, रॉकीज़, आल्प्स, एंडीज़, काकेशस, जापान और अफ्रीका जैसे पर्वतीय भौगोलिक क्षेत्रों में अवसंरचना के लिए साझा जलवायु और आपदा जोखिमों का समाधान करना है।

जारी/-

(viii) इसके अतिरिक्त, सीडीआरआई अपने फेलोशिप कार्यक्रम भी चलाता है, जो अवसंरचनाओं के रिजिलिएंस के लिए अत्याधुनिक अनुसंधान और नवीन समाधानों को बढ़ावा देता है, अवसंरचना के रिजिलिएंस अकादमिक आदान-प्रदान (IRAX) की अवधारणा डीआरआई को मुख्यधारा में लाने के लिए है और डीआरआई कनेक्ट ज्ञान के आदान-प्रदान, सीखने और सह-निर्माण के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में है।

***